



सिद्धार्थनगर पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 31.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆सेवानिवृत्त हुए 02 पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा “पुलिस अधीक्षक कार्यालय” में की गयी ससम्मान विदाई ।

आज दिनांक 31.05.2025 को जनपद सिद्धार्थनगर से 02 पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण अपनी सम्पूर्ण सेवा काल के दौरान पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं लगन से कार्य करते हुए अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए । इस अवसर पर "पुलिस अधीक्षक कार्यालय" में पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी/कर्मचारीगण हेतु विदाई समारोह आयोजित किया गया । पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा ससम्मान विदाई की गयी। इस अवसर पर सर्वप्रथम सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों से उनका परिचय प्राप्त करते हुये सेवाकाल के अनुभवों के बारे में वार्ता की गयी । विदाई समारोह में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को माला पहनाकर, शाल व धर्मग्रन्थ आदि भेंटकर सम्मानित किया गया । उनके द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों के भविष्य की योजनाओं के बारे में जाना गया साथ ही भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर बेझिझक सम्पर्क करने की बात कही गयी । महोदय ने सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों को उनके सुखद, आनन्दपूर्ण व उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुये सम्मानपूर्वक विदाई की गयी ।

सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों का विवरण-

01-उ0नि0ना0पु0 श्री ओमप्रकाश थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।
(अधिवर्षता आयु पूर्ण)

02-उ0नि0ना0पु0 श्री राजेन्द्र प्रसाद थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर । (अधिवर्षता आयु पूर्ण)

प्रेस नोट दिनांक 31.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆थाना पथरा बाजार पुलिस द्वारा 02 गुमशुदा हुई नाबालिक लड़कियों को किया गया बरामद ।

दिनांक 29/05/2025 को आवेदक आशीष त्रिपाठी पुत्र केशव प्रसाद त्रिपाठी सकिन अल्लापुर थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा तहरीर थाना पथरा बाजार पर दिया गया कि उनकी दोनों लड़कियां मां के द्वारा खाना ना बनाने की बात को लेकर डांटने पर कहीं चली गई हैं उक्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 40/2025 धारा 137(2) BNS पंजीकृत किया गया । डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक पथरा बाजार मय पुलिस बल द्वारा तत्परता दिखाते हुए 30 घंटे के अंदर दोनों लड़कियों को सकुशल बरामद किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



सिद्धार्थनगर पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 31.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆थाना मोहाना पुलिस व एस0एस0बी0 की संयुक्त टीम द्वारा दो तस्करो को 02.850 कि0ग्रा0 चरस के साथ गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया ।

◆उनके कब्जे से 01 अदद कार वाहन, 03अदद मोबाइल फोन, ₹2100(भारतीय मुद्रा), नेपाली मुद्रा व आधार कार्ड, डेबिट कार्ड आदि बरामद ।

डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों व अवैध तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन व मयंक द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी सदर, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में रोहित कुमार उपाध्याय थानाध्यक्ष मोहाना सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 31.05.2025 को चिरीपुर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तगण 01.जावेद अली 02.रामकुमार को 02.850 कि0ग्रा0 चरस, 01 अदद होण्डा सीटी कार वाहन, एक अदद इन्फिनिक्स कम्पनी का एन्ड्रायड मोबाइल व एक अदद सादा मोबाइल लावा कम्पनी व एक अदद सादा मोबाइल नोकिया कम्पनी, 2100 रु0 भारतीय मुद्रा, 15 रु0 नेपाली मुद्रा व आधार कार्ड, डेबिट कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना मोहाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 87/2025 धारा 8/20/23 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

01.जावेद अली पुत्र वली मोहम्मद साकिन गडरखा थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।

02.रामकुमार पुत्र चन्दराम साकिन गडरखा थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

01. 02.850 कि0ग्रा0 चरस,

02. एक अदद होण्डा सीटी कार वाहन(UP55AS9615)

03. तीन अदद मोबाइल फोन

04. 2100 रु0 भारतीय मुद्रा, नेपाली मुद्रा व आधार कार्ड, डेबिट कार्ड आदि बरामद ।

अभियुक्त जावेद अली का आपराधिक इतिहास----

01..मु0अ0सं0 95/2024 धारा 323,452,504,506 भादवि थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।

02.मु0अ0सं0 112/2020 धारा 323,345(ख),504 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।

03.मु0अ0सं0 162/2024 धारा 110,115(2),303(2),317(4), 351(3), 352, 61(2) (A),62 भारतीय न्याय संहिता-2023 व 3(1)ध,3(1)द,3(2)V,3(2)VA एससी/एसटी एक्ट थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01.उ0नि0 वीरेन्द्र यादव चौकी प्रभारी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

02.उ0नि0 रमावत विनोद कुमार एसएसबी ककरहवा जनपद सिद्धार्थनगर ।

03. हे0का0 मनोज कुमार,सत्येन्द्र यादव, उदयप्रताप सिंह चौकी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

04.आरक्षी अनुराग तिवारी, राजन सिंह, मनोज यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

05.आरक्षी जगताय गनेश मधुकर, प्रमोद यादव, विजय बहादुर एसएसबी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।



सिद्धार्थनगर पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 31.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर ।

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में चलाये जा रहे परिवार परामर्श केंद्र जब/नई-किरण(टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल कार्यक्रम) के तहत महिला थाना द्वारा 02 परिवार के मध्य सुलह समझौता कराकर उनके परिवारो को बिखरने से बचाया गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 31.05.2025 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण(टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल कार्यक्रम) का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 04 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई । जिसमें परामर्श के बाद 02 पत्रावली का सफल निस्तारण कर 02 परिवारों को बिखरने से बचाया गया व 02 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है । 02 परिवार को बिखरने से बचाने में थानाध्यक्ष मीरा चौहान, उपनिरीक्षक राम नारायण, उप निरीक्षक मीरा वर्मा शुक्ला, म0हे0का सत्या त्रिपाठी, सविता सिंह, म0का0नेहा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

निस्तारित पत्रावली का विवरण निम्न हैं.

01. सलोनी पत्नी रवि साकिन सोनकर थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
02. रिकी पत्नी बरसावन साकिन धर्मपुरवा थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 31. 05.2025जनपद सिद्धार्थनगर

◆सिद्धार्थनगर एण्टी रोमियो स्कवाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर मनचलों एवं शोहदों की चेकिंग की गयी ।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 31.05.2025 को प्रभारी एण्टी रोमियो स्कवाड टीम /शक्ति मोबाइल द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत एण्टी रोमियो कार्यवाही के तहत थाना क्षेत्र शोहरतगढ़ मे रेल्वे स्टेशन शोहरतगढ़,बाण गंगा, छतहरा, कस्बा शोहरतगढ़, चौक व स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थाना क्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों पर चेकिंग की गयी तथा महिला दुकानदारों से नियमित आए दिन चौराहों बाजारों आदि में अनावश्यक घूमने वाले शोहदों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, चेकिंग के दौरान कोई अप्रिय बात नहीं रही ।

एण्टी रोमियो टीम का विवरण-

01-म0उ0नि0 शाइस्ता प्रभारी एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर

02.महिला मुख्य आरक्षी सुनीता एंटी रोमियो स्कवायड

03 महिला मुख्य आरक्षी कंचन एंटी रोमियो स्कवायड

04.आरक्षी श्री प्रकाश चौरसिया एंटी रोमियो स्कवायड

प्रेस नोट- दिनांक 31.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिट्रिंग सेल व थाना इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपी को पीएफ एक्ट के तहत 02 वर्ष के साधारण कारावास व ₹ 5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ० अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 30.05.2025 को वाद सं० 3572/2011 धारा 7/16 पीएफ एक्ट में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री अनुभव कटियार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त विजय कुमार यादव पुत्र मुनिराम यादव निवासी लटेरा (वनरीजोत) थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर को 02 वर्ष के साधारण कारावास व ₹ 5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिट्रिंग सेल, अभियोजन अधिकारी अजय कुमार गौतम तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अनूप गौड़ का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट- दिनांक 31.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना डुमरियागंज पुलिस द्वारा दहेज हत्या के 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में, बृजेश कुमार वर्मा क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में श्रीप्रकाश यादव प्रभारी निरीक्षक थाना डुमरियागंज के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 31.05.2025 को थाना डुमरियागंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं०-94/2025 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- 01.रमेश सोनी पुत्र रविनाथ सोनी साकिन तेलियाडीह थाना डुमरियागंज सिद्धार्थनगर।
- 02.रविनाथ सोनी पुत्र गुरुसरन साकिन तेलियाडीह थाना डुमरियागंज सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 01. उ०नि० मनोज कुमार सिंह थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02. हे०का० राजेश कुमार थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।
- 03. का० प्रदुम्न कुमार थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 31.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ जनपदीय पुलिस द्वारा आगामी त्यौहार तथा जनपद में कानून एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने सर्किल/ थाना क्षेत्रों में चेकिंग/पैदल गश्त कर आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 31.05.2025 को क्षेत्राधिकारी/ प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा आगामी त्यौहार ईद-उल-जुहा (बकरीद) तथा जनपद में कानून एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु रूट मार्च व चेकिंग किया गया तथा अपने-अपने सर्किल/ थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले चिन्हित हॉट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पड़ने वाले भीड़-भाड़ वाले स्थानों के आस पास के क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहनों की गहनता से चेकिंग/पैदल गश्त तथा आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया व आपस में सौहार्द बनाये रखने हेतु अपील की गयी।